

इसे वेबसाईट [www.govtppressmp.nic.in](http://www.govtppressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2010—पौष 3, शक 1932

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

### भाग १

#### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2010

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-547-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18, 19 एवं 25, 26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई. 5-558-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री विनोद कुमार, आयएएस, सदस्य राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 22 नवम्बर से 24 दिसम्बर 2010 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 नवम्बर एवं 25, 26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सदस्य राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-667-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री पी. के. पाराशर, आयएएस, कमिशनर, जबलपुर संभाग, जबलपुर को दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18, 19 एवं 25, 26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री पी. के. पाराशर की अवकाश की अवधि में श्री गुलशन बामरा, आयएएस., कलेक्टर, जिला जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिशनर, जबलपुर संभाग, जबलपुर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. पाराशर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कमिशनर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पी. के. पाराशर, द्वारा कमिशनर, जबलपुर संभाग, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा, कमिशनर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री पी. के. पाराशर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. के. पाराशर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-675-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री सतीश चन्द्र मिश्र, आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विषयन संघ, भोपाल को दिनांक 24 दिसम्बर 2010 से 4 जनवरी 2011 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विषयन संघ, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश चन्द्र मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-328-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री आर. परशुराम, आयएएस, वि.क.अ.-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग को दिनांक 13 से 16 दिसम्बर 2010 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 17, 18, 19 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. परशुराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन वि.क.अ.-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आर. परशुराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. परशुराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-501-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 दिसम्बर 2010 एवं 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री बी. आर. नायडू की अवकाश की अवधि में श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति एवं संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. आर. नायडू द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-498-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 नवम्बर 2010 द्वारा श्री प्रमोद कुमार दास, आयएएस, श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश इन्डौर को दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18, 19 एवं 25, 26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी गई है।

(2) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस., आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्डौर के स्थान पर श्रीमती सूरज डामोर, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक (फील्ड), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्डौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्डौर का प्रभार श्री प्रमोद कुमार दास के उक्त अवकाश अवधि में सौंपा जाता है।

(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 नवम्बर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई. 5-785-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विषयन बोर्ड-सह-संचालक, मंडी, मध्यप्रदेश-सह-अपर सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 8 से 16 दिसम्बर 2010 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18, 19 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विषयन बोर्ड-सह-संचालक, मंडी, मध्यप्रदेश-सह-अपर सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-477-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 20 दिसम्बर 2010 से 4 जनवरी 2011 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री राधेश्याम जुलानिया की अवकाश की अवधि में श्री के. के. सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी

रूप से, आगामी आदेश तक, जल संसाधन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राधेश्याम जुलानिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राधेश्याम जुलानिया द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, जल संसाधन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राधेश्याम जुलानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधेश्याम जुलानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-642-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री विवेक अग्रवाल, आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को शासकीय विदेश यात्रा के पश्चात् दिनांक 28 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2010 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-736-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अरूण कुमार भट्ट, आयएएस, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 9 से 16 दिसम्बर 2010 तक आठ दिनांक का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18, 19 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार भट्ट को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार भट्ट को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार भट्ट अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-486-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस., वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को दिनांक 13 से 16 दिसम्बर 2010 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 17, 18, 19 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश की अवधि में श्री पी. के. दाश, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. (टायफेक) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. के. दाश, वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-645-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस, आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छः दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 एवं 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. ई-1-457-2010-5-एक.—श्रीमती रेनू तिवारी, भाप्रसे (2000) संचालक, संपदा संचालनालय तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग की सेवाएं गृह विभाग से वापिस लेकर उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश स्थानापन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें संचालक, संपदा संचालनालय का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई. 5-859-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री भरत यादव, आयएएस, अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई को दिनांक 23 दिसम्बर 2010 से दिनांक 1 जनवरी 2011 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भरत यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री भरत यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

क्र. ई-1-465-2010-5-एक.—श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, भाप्रसे (1981), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन विभाग पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे द्वारा मछलीपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सेवाराम, भाप्रसे (1984) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बाल मछलीपालन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई. 5-821-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री एस. सुहैल अली, भाप्रसे, सचिव, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18, 19 एवं 25-26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहैल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सचिव, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. सुहैल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहैल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-536-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) डॉ. एम. मोहनराव, आयएएस., संचालक, आर.सी.व्ही.पी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल को दिनांक 20 दिसम्बर 2010 से 14 जनवरी 2011 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18, 19 दिसम्बर 2010 एवं 15, 16 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. मोहनराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन संचालक, आर.सी.व्ही.पी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. एम. मोहनराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. मोहनराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-484-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री प्रभाकर बंसोड़, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. (मानव अधिकार) तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 एवं 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभाकर बंसोड़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सा. प्र. वि. (मानव अधिकार) तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री प्रभाकर बंसोड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभाकर बंसोड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-501-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2010 द्वारा श्री बी. आर. नायडू, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत जाकर है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 दिसम्बर 2010 एवं 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति एवं संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन, भोपाल के स्थान पर अब श्रीमती कंचन जैन, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, ग्रामोद्योग विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार श्री बी. आर. नायडू के उक्त अवकाश अवधि में सौंपा जाता है।

(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई. 5-326-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री देवेन्द्र सिंघई, आयएएस., संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2010 से 22 जनवरी 2011 तक अड़तीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री देवेन्द्र सिंघई की अवकाश अवधि में श्री अरुण कोचर, आयएएस., आयुक्त आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं संचालक, विमानन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री देवेन्द्र सिंघई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री देवेन्द्र सिंघई द्वारा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरुण कोचर, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री देवेन्द्र सिंघई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देवेन्द्र सिंघई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-464-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री जयदीप गोविन्द, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिनांक 21 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री जयदीप गोविन्द की अवकाश अवधि में श्री प्रभांशु कमल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप गोविन्द को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(4) श्री जयदीप गोविन्द द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रभांशु कमल, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जयदीप गोविन्द को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप गोविन्द अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 19-1-2006-एक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खण्ड (K) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर श्री अजीत रायजादा, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. (म. प्र. 1970) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजया श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्र. ई-1-457-2010-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गये पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थि किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री राजेश प्रसाद मिश्रा (1998), संचालक, सम्पदा संचालनालय।	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।	—
2	श्रीमती रेनू तिवारी (2000), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग।	संचालक, सम्पदा संचालनालय तथा पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग।	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन।

(2) श्री आशीष उपाध्याय, भाप्रसे (1989), आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, लोक सेवा गारंटी का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

क्र. ई-1-461-2010-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री पी. के. दाश (1981), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग।	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश <sup>ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट</sup> फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेड)।	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	श्री दीपक खाण्डेकर (1985), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री।	प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन तथा पर्यटन विभाग तथा पदेन आयुक्त, पर्यटन मध्यप्रदेश।	—
3	श्री इकबाल सिंह बैंस (1985), प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, विमानन तथा पर्यटन विभाग तथा पदेन आयुक्त, पर्यटन, मध्यप्रदेश।	महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
4	श्री अनिल जैन (1986) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेड) का अतिरिक्त प्रभार।	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग।	—
5	श्री अनिरुद्ध मुखर्जी (1993), प्रशिक्षण से वापस लौटने पर।	आयुक्त-सह-संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास।	संभागीय कमिशनर
6	श्रीमती मधु खरे, (1997), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग।	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल।	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
7	श्री योगेन्द्र शर्मा (1999), कलेक्टर, विदिशा।	आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर।	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
8	श्री सी. बी. सिंह (2001), आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर।	कलेक्टर, विदिशा।	—
9	श्री एम. बी. ओझा, (2001), संचालक, ग्रामीण रोजगार।	कलेक्टर, राजगढ़।	—
10	श्री लोकेश कुमार जाटव (2004), कलेक्टर, राजगढ़।	संचालक, ग्रामीण रोजगार।	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(2) उपरोक्तानुसार श्री इकबाल सिंह बैंस, भाप्रसे (1985) द्वारा महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आलोक श्रीवास्तव भाप्रसे (1984) पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अपरंपरागत ऊर्जा विभाग तथा महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) एवं प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन केवल महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) के प्रभार से मुक्त होंगे।

(3) श्री रजनीश वैश, भाप्रसे (1985), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा धाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

### किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2010

(1) (2)

(3)

- 5 श्रीमती पूजा धर्मे
- 6 श्री तरुण सिंह
- 7 जॉनी तोतलानी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक  
वाणिज्यिक कर निरीक्षक  
वाणिज्यिक कर निरीक्षक

### निम्नस्तर भोपाल संभाग

1 श्रीमती नीलिमा तिवारी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक

### इन्दौर संभाग

- 2 श्री सूर्यप्रकाश सिंह बघेल
- 3 श्री एच. सी. गेहलोत
- 4 श्री राजेश कुमार पाण्डेय
- 5 श्री किरण वर्मा
- 6 श्रीमती निशा सिंगार
- 7 श्री केशव प्रसाद मर्सकोले
- 8 श्रीमती चित्रा भोसले
- 9 श्री नवीन कोरी
- 10 श्री बृहस्पति सिंह
- 11 श्री पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डे
- 12 श्री विजय सिंह चौहान
- 13 श्री अभिषेक कोशल
- 14 श्री मंगल सिंह
- 15 श्री सुरेन्द्र सिंह चूणडावत
- 16 श्री जयत गुप्ता
- 17 श्री बालचन्द्र कारपेन्टर
- 18 श्री नितिन कुमार बिडवई
- 19 श्री खेमराज चौहान
- 20 श्री कालूराम पवार
- 21 श्री प्रभाकर भौरे
- 22 श्री संजय विजयवर्गीय

वाणिज्यिक कर निरीक्षक  
वाणिज्यिक कर निरीक्षक

### गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 3-70-2010-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई 2010 को प्रश्न-पत्र पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. परीक्षार्थी का नाम पदनाम

(1) (2) (3)

### उच्चस्तर

### इन्दौर संभाग

- 1 श्री अजय सनवासकर वाणिज्यिक कर निरीक्षक
- 2 श्री मुकेश पंचोलिया वाणिज्यिक कर निरीक्षक
- 3 श्री योगेश राठौर वाणिज्यिक कर निरीक्षक
- 4 श्रीमती पूर्णमा सक्सेना वाणिज्यिक कर निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
23	श्री विश्वास रावत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
24	श्री पन्नालाल लोनकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
25	श्री हरसुखलाल पटेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
26	श्री जगदीश चंद राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
27	श्री सुभाष परहिरा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
28	श्री विजयकुमार जायसवाल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
29	श्री नानूराम गरेठिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
30	श्री कितेश कुमार शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
31	मो. जहीर कुरेशी	सहा. वा. कर निरीक्षक
32	श्रीमती उषा शाह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
33	श्रीमती माया आनंद	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
34	श्री दिलीप कुमार राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
35	श्री रामराज यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
36	श्री आर. एस. बिरारी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
37	श्री राजेश श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
38	श्री हेमराज वारस्कर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
39	श्रीमती सरिता नायक	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
40	श्री राजकुमार चौबे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
41	श्री अनुपम शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
42	श्री गोपीनाथ शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
43	श्री राजेश नायक	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेनू तिवारी, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2010

सूचना

क्र. एफ. 9-1-2004-ब-सोलह.—यतः, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में तथा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 9-1-2004-ब-सोलह, दिनांक 15 जून 2010 में, जो “मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1” में दिनांक 9 जुलाई 2010 को प्रकाशि हुई थी, अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार नीचे दी गई सारणी में विविर्दिष्ट स्थापनाओं के बारें पर करने का आशय रखती है।

अतएव, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रस्तावित विस्तारण पर कोई आपत्ति हो तो, लिखित में अपनी आपत्ति राज्य शासन, श्रम विभाग,

मंत्रालय, भोपाल में, इस सूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तरीख से एक मास के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा:—

सारणी

<p>स्थापनाओं का विवरण</p> <p>(1)</p> <p>प्रवितयों, न्यासों, सोसाइटियों तथा अन्य संगठनों द्वारा संचालित सी शैक्षणिक संस्थाएं (सार्वजनिक, सजी, सहायता प्राप्त या आंशिक सहायता प्राप्त संस्थाओं सहित) जनमें पूर्ववर्ती बारह मास के कसी भी दिन को 10 या अधिक प्रवित नियोजित रहे हों।</p>	<p>क्षेत्र जहां स्थापनाएं स्थित हैं</p> <p>(2)</p> <p>क्षेत्र, जहां पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-1 (3) और 1 (5) पूर्व से ही प्रवृत्त की जा चुकी है।</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## NOTICE

F. No. 9-1-2004-B-XVI.—WHEREAS, in pursuance of the provisions of sub-section (5) of section 1 of the Employee's State Insurance Act, 1948 (No. 34 of 1948) and in supersession of this department's notice F. No. 9-1-2004-B-XVI, dated 15th June, 2010, which was published in the "Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 9th July, 2010 the State Government, with the approval of the Central Government, intends to extend the provisions of the said Act to class of establishments specified in the table below.

Now, THEREFORE, Notice is hereby given that any person having objection to the proposed extension of the provisions of the aforesaid Act may submit his objection in writing to the State Government in the Labour Department, Mantralaya, Bhopal within one months from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette."

TABLE

Description of Establishments (1)	Areas in which the Establishments are situated (2)
educational Institutions including public, Private, aided or partially aided) by individuals, trustees, societies or other associations, wherein or more persons are employed on any day of preceding twelve months.	Areas where the aforesaid Act has already been brought into fore under section 1 (3) and 1 (5) of the Act.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2010

## सूचना

क्र. एफ. 9-3-2005-ब-सोलह.—यत; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में तथा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 9-3-2004-ब-सोलह, दिनांक 15 जून 2010 में, जो “मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1” में दिनांक 9 जुलाई 2010 को प्रकाशित हुई थी, अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार नीचे दी गई सारणी में विविरित स्थापनाओं के बर्गों पर करने का आशय रखती है।

अतएव, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रस्तावित विस्तारण पर कोई आपत्ति हो तो, लिखित में अपनी आपत्ति राज्य शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल में, इस सूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा:—

## सारणी

स्थापनाओं का विवरण	क्षेत्र जहां स्थापनाएं स्थित हैं
(1)	(2)
चिकित्सा संस्थानों जिनमें निगमित क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, न्यास, पूर्त और निजी स्वामित्व के ऐसे चिकित्सालय तथा नर्सिंग होम सम्मिलित हैं जिनमें पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन को 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित रहे हों।	क्षेत्र, जहां पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-1 (3) तथा 1 (5) पूर्व से ही प्रवृत्त की जा चुकी है।

## NOTICE

F. No. 9-3-2005-B-XVI.—WHEREAS, in pursuance of the provisions of sub-section (5) of section 1 of the Employee's State Insurance Act, 1948 (No. 34 of 1948) and in supersession of this department's notice F. No. 9-3-2005-B-XVI, dated 15th June, 2010, which was published in the “Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 9th July, 2010 the State Government, with the approval of the Central Government, intends to extend the provisions of the said Act to class of establishments specified in the table below.

NOW, THEREFORE, Notice is hereby given that any person having objection to the proposed extension of the provisions of the aforesaid Act may submit his objection in writing to the State Government in the Labour Department, Mantralaya, Bhopal within one months from the date of publication of this notice in

the “Madhya Pradesh Gazette.”

## TABLE

Description of Establishments	Areas in which the Establishments are situated
(1) Medical Institutions including corporaorate sector, joint sector, trust, charitable and private ownership hospitals and nursing homes wherein 10 or more persons are employed on any day of the preceding twelve months.	(2) Areas where the aforesaid Act has already been brought into fore under section 1 (3) and 1 (5) of the Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रभा चौधरी, उपसचिव।

## वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

क्र. एफ 13-22-10-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा-34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह क्रमांक 1 की इकाई क्रमांक 3 के वाष्ययंत्र क्रमांक एम.पी./3215 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 7 अक्टूबर 2010 से 6 अप्रैल 2011 तक, छ: माह के लिए छूट देता है:—

1. संदर्भधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
3. संदर्भधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।

4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी; एवं
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भरत कुमार व्यास, अपर सचिव।

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2010

फा. क्र. 1(बी) 31-04-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 नवम्बर 2004 के द्वारा श्री रवीन्द्र सिंह गौड़, को शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक, इन्दौर नियुक्त किया गया था।

श्री रवीन्द्र सिंह गौड़, शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक, इन्दौर की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने तक श्री रवीन्द्र सिंह गौड़, शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक उक्त पद पर कार्य करते रहने की शर्त के अधीन उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 तथा उनकी नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार उन्हें एक माह का सूचना-पत्र दिया जाकर उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने अथवा एक माह की सूचना की अवधि (जो भी बाद में पूर्ण हो) के पश्चात् पद मुक्त किया जाता है।

फा. क्र. 1(बी) 41-04-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जुलाई 2004 के द्वारा श्री राजमणि सिंह को अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, सतना को नियुक्त किया गया था।

श्री राजमणि सिंह को अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, सतना की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने तक श्री राजमणि सिंह, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक उक्त पद पर कार्य करते रहने की शर्त के अधीन उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम

20 तथा उनकी नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार उन्हें एक माह का सूचना-पत्र दिया जाकर उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने अथवा एक माह की सूचना की अवधि (जो भी बाद में पूर्ण हो) के पश्चात् पद मुक्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

फा. क्र. 1(बी) 29-04-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री दीपक कुमार कुर्रे पुत्र श्री रघुनाथ कुर्रे, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये खण्डवा सत्र खण्ड के खण्डवा राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव।

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. डी-7463-इक्कीस-अ(स्था).—श्री ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव, विधि को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

दिनांक 22 मई 2010 से 11 जून 2010 तक अर्जित अवकाश—19 दिवस शेष 202.

दिनांक 28 अक्टूबर 2010 से 31 अक्टूबर 2010 तक लघुकृत अवकाश 4 (8) शेष 524.

दिनांक 30 मई 2009 से 13 जून 2009 तक एल.टी.सी. 10 दिवस शेष 192.

अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त होता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव विधि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रमुख सचिव, विधि एवं विधि परामर्शी के पद पर कार्यरत रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एल. डी. बौरासी, अतिरिक्त सचिव।

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

फा. क्र. 17(ई)83-03-इकीस-ब (एक).—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 17(ई)83-03-इकीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 110 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

### अनुसूची

अनु- क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम (1) (2)	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (3) (4)
“110 पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर		श्री अनिल कुमार मोहनिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.”.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B (One).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Depratment's Notification F. No. 17 (E) 83-03-XXI-B(I), dated 16th September 2010, namely :—

### AMENDMENT

In the said notification, in the Table for serial number 110 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

### SCHEDELE

S.No.	Name of Civil District	Name of Special Court (1) (2)	Name fo the Judge of the Special Court (3) (4)
“110	West Nimar, Mandleshwar.	Additional Sessions Judge, Mandleshwar.	Shri Anil Kumar Mohania, Additional Sessions Judge, Mandleshwar”.

फा. क्र. 17(ई)83-03-इकीस-ब (एक).—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 17(ई)83-03-इकीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 102, 110, 111 तथा 112 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

### अनुसूची

अनु- क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम (1) (2)	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (3) (4)
“102 सिंगरौली	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैड़न		सिविल जिला सिंगरौली की स्थानीय सीमाएं

(1)	(2)	(3)	(4)
110	पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर	सिविल जिला मण्डलेश्वर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 111 तथा 112 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
111	पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खरगौन	खरगौन तथा भीकनगांव का विद्युत क्षेत्र
112	पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वाह	सनावद तथा बड़वाह का विद्युत क्षेत्र.”.

**टिप्पणी।**—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे।

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(One).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in this Depratment's Notification F. No. 17 (E) 83-03-XXI-B(I), dated 16th September 2010, namely :—

#### AMENDMENT

In the said notification, in the Table for serial numbers 102, 110, 111 & 112 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted, namely :—

#### SCHEDULE

S.No.	Name of Civil the District	Name of Special Court	Territorial Jurisdiction of Special Court (According to the Electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
“102	Singrauli	Additional Sessions Judge, Wadidhan	Local limits of Civil District Singrauli
110	W.N. Mandleshwar	Additional Sessions Judge, Mandleshwar	All electricity area of Civil District Mandleshwar (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 111 & 112).
111	W.N. Mandleshwar.	Ist Additional Sessions Judge, Khargone	Electricity area of Khargone & Bhikangaon
112	W.N. Mandleshwar	Additional Sessions Judge, Barwah	Electricity area of Sanawad & Barwah.”.

**Note.—**The pending case of the Special Court shall be stand transferred to the newly constituted court according to their territorial jurisdiction.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

**गृह विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है :—

- विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।
- विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

क्र. एफ. 1(ए)156-95-ब-2-दो.—(1) श्री रविकुमार गुप्ता, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज, बालाघाट को लंदन में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 17 से 22 जनवरी 2011 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex-India) दिनांक 15, 16 जनवरी 2011

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रविकुमार गुप्ता, भाषुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उप पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रविकुमार गुप्ता, भाषुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रविकुमार गुप्ता, भाषुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे।

क्र. एफ. 1(ए)214-96-ब-2-दो.—(1) श्री आर. के. गुप्ता, भाषुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को लंदन में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 17 से 22 जनवरी 2011 तक कुल छ: दिवस का अर्जित अवकाश (Ex-India) दिनांक 15, 16 जनवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्न लिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्ता, भाषुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. गुप्ता, भाषुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. गुप्ता, भाषुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे।

क्र. एफ. 1 (ए) 395-88-ब-2-दो.—(1) श्रीमती एम. अरुणा राव, भाषुसे., पुलिस महानिरीक्षक (अजाक-1) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 20 दिसम्बर 2010 से 14 जनवरी 2011 तक, कुल छब्बीस दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 18, 19 दिसम्बर, 2010 के विज्ञप्त अवकाश जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती एम. अरुणा राव, भाषुसे., की अवकाश की अवधि में श्री अशोक अवस्थी, भाषुसे, पुलिस महानिरीक्षक (अजाक-2) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी

रूप से, आगामी आदेश पुलिस महानिरीक्षक (अजाक-1) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) श्रीमती एम. अरुणा राव, भाषुसे., द्वारा अवकाश से वापसी पर पुलिस महानिरीक्षक (अजाक-1) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक अवस्थी, भाषुसे, पुलिस महानिरीक्षक (अजाक-2) पुलिस मुख्यालय, भोपाल उक्त पद के प्रभार से मुक्त होंगे।

(4) अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. अरुणा राव, भाषुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस महानिरीक्षक (अजाक-1) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती एम. अरुणा राव, भाषुसे., अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती एम. अरुणा राव, भाषुसे., अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 1(ए)85-99-ब-2-दो.—(1) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भाषुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रतलाम को लंदन में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 17 से 22 जनवरी 2011 तक कुल छ: दिवस का अर्जित अवकाश (Ex-India) दिनांक 15, 16 एवं 23 जनवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री वेदप्रकाश शर्मा, भाषुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उप पुलिस महानिरीक्षक, रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री वेदप्रकाश शर्मा, भाषुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वेदप्रकाश शर्मा, भाषुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक दास, प्रमुख सचिव।

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462 011

#### आदेश

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 67-8-08-तीन-2989.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी नगरपालिका के पास दाखिल किया जाएगा।

माह अप्रैल 2008 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत चुरहट, जिला सीधी के निर्वाचन में श्री शम्भू प्रसाद प्रजापति, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 अप्रैल 2008 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन (अर्थात् 17 मई 2008 तक किन्तु 17 मई 2008 एवं 18 मई 2008 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 19 मई 2008 तक) के अन्दर इनके द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला सीधी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), सीधी के पत्र क्रमांक-342-स्था.निर्वा.-08, दिनांक 27 जून 2008 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री शम्भू प्रसाद प्रजापति द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला सीधी से प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री शम्भू प्रसाद प्रजापति को कारण बताओ सूचना पत्र क्र. एफ 67-8-2008-तीन-877, दिनांक 22 जुलाई 2008 जारी किया जाकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला सीधी के माध्यम से तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री शम्भू प्रसाद प्रजापति को नोटिस दिनांक 8 सितम्बर 2008 को तामील कराया गया था। अतः अभ्यर्थी को दिनांक 21 सितम्बर 2008 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था। अभ्यर्थी द्वारा नोटिस तामीली उपरांत दिनांक 15 सितम्बर 2008 को एक अभ्यावेदन आयोग में प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने लेख किया कि “... प्रार्थी पूर्व में कर्मचारी चयन आयोग/रेलवे भर्ती के लिए आवेदन किया था जिसकी परीक्षा निर्वाचन व्यय जमा करने की तारीख के पूर्व ही भोपाल परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित होने के लिए चला गया था तथा इसी विश्वास पर की मेरे द्वारा जमा किया गया लेखा जोखा मेरे कार्यकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से जमा कर दिया गया होगा। परन्तु कार्यकर्ता के द्वारा व्यय लेखा जमा न करने की कोई सूचना न दिये जाने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है।” कलेक्टर सीधी ने अपने पत्र दिनांक 30 जनवरी 2009 के द्वारा अभ्यर्थी श्री शम्भू प्रसाद प्रजापति द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर अधिमत दिया कि ... सूचना पत्र की तामीली के उपरांत भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए तथा अभ्यावेदन में बिलंब से निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल किये जाने के बताये गये कारणों से संबंधित बुलाये गये सुसंगत अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किये जाने से अभ्यावेदन में उल्लिखित कारणों से संबंधित तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते। आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 8 अक्टूबर 2010 को अभ्यर्थी श्री शम्भू प्रसाद प्रजापति को आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित समस्त दस्तावेजों सहित दिनांक 10 नवम्बर 2010 को बुलाया गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली 19 अक्टूबर 2010 को हो गई थी। किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री शम्भू प्रसाद प्रजापति को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत चुरहट, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निर्विहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( रजनी उडके )  
सचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

### आदेश

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 67-8-08-तीन-2990.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकारी ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकारी द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा निर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी नगरपालिका के पास दाखिल किया जाएगा।

माह अप्रैल 2008 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत चुरहट, जिला सीधी के निर्वाचन में श्री अशोक कुमार पटेल ( एडवोकेट ), अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 अप्रैल 2008 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन (अर्थात् 17 मई 2008 तक किन्तु 17 मई 2008 एवं 18 मई 2008 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 19 मई 2008 तक) के अन्दर इनके द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला सीधी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नपा.), सीधी के पत्र

क्रमांक-342-स्था.निर्वा.-08, दिनांक 27 जून 2008 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अशोक कुमार पटेल ( एडवोकेट ) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला सीधी से प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री अशोक कुमार पटेल ( एडवोकेट ) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 22 जुलाई 2008 जारी किया जाकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला सीधी के माध्यम से तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री अशोक कुमार पटेल ( एडवोकेट ) को नोटिस दिनांक 9 सितम्बर 2008 को तामील कराया गया था। अतः अभ्यर्थी को दिनांक 24 सितम्बर 2008 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 20 मार्च 2009 तक जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला सीधी को तथा आयोग में कोई अभ्यावेदन/व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 8 अक्टूबर 2010 को अभ्यर्थी श्री अशोक कुमार पटेल को आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित समस्त दस्तावेजों सहित दिनांक 10 नवम्बर 2010 को बुलाया गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली 20 अक्टूबर 2010 को हो गई थी। किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए।

इस प्रकार अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम तथा निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 के निर्देशों के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया है। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी के पास निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार पटेल ( एडवोकेट ) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत चुरहट, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निर्विहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( रजनी उडके )  
सचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

## आदेश

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 67-8-08-तीन-2991.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के पास दाखिल किया जाएगा।

माह अप्रैल 2008 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत चुरहट, जिला सीधी के निर्वाचन में श्री कैलाश कोल, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 अप्रैल 2008 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन (अर्थात् 17 मई 2008 तक किन्तु 17 मई 2008 एवं 18 मई 2008 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 19 मई 2008 तक) के अन्दर इनके द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला सीधी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (नगरपालिका) सीधी के पत्र क्र. 342/स्था. निर्वा./08, दिनांक 27 जून 2008 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री कैलाश कोल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका),

जिला सीधी से प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री कैलाश कोल को कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. एफ 67-8-2008-तीन-874, दिनांक 22 जुलाई 2008 जारी किया जाकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला सीधी के माध्यम से तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थी श्री कैलाश कोल को नोटिस दिनांक 10 सितम्बर 2008 को तामील कराया गया। अतः अभ्यर्थी को दिनांक 25 सितम्बर 2008 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 20 मार्च 2009 तक जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला सीधी को तथा आयोग में कोई अभ्यावेदन/व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 8 अक्टूबर 2010 को अभ्यर्थी श्री कैलाश कोल को आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित समस्त दस्तावेजों सहित दिनांक 10 नवम्बर 2010 को बुलाया गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली 18 अक्टूबर 2010 को हो गई थी। किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए।

इस प्रकार अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम तथा निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 के निर्देशों के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया है। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी के पास निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री कैलाश कोल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत चुरहट, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(रजनी उड्के )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

## आदेश

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 67-8-08-तीन-2992.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकारी ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकारी द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के पास दाखिल किया जाएगा।

माह अप्रैल 2008 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत चुरहट, जिला सीधी के निर्वाचन में श्री भगवानदीन पटेल, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 अप्रैल 2008 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन (अर्थात् 17 मई 2008 तक किन्तु 17 मई 2008 एवं 18 मई 2008 के सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 19 मई 2008 तक) के अन्दर इनके द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला सीधी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (नगरपालिका) सीधी के पत्र क्र. 342/स्था. निर्वा./08, दिनांक 27 जून 2008 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री भगवानदीन पटेल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका),

जिला सीधी से प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री भगवानदीन पटेल को कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. एफ-67-8-2008-तीन-875, दिनांक 22 जुलाई 2008 जारी किया जाकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला सीधी के माध्यम से तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थी श्री भगवानदीन पटेल को नोटिस दिनांक 9 सितम्बर 2008 को तामील कराया गया। अतः अभ्यर्थी को दिनांक 24 सितम्बर 2008 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 20 मार्च 2009 तक जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला सीधी को तथा आयोग में कोई अभ्यावेदन/व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग द्वारा विचारोपान्त दिनांक 8 अक्टूबर 2010 को अभ्यर्थी श्री भगवानदीन पटेल को आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित समस्त दस्तावेजों सहित दिनांक 10 नवम्बर 2010 को बुलाया गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली 24 अक्टूबर 2010 को हो गई थी। किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए।

इस प्रकार अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम तथा निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 के निर्देशों के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया है। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी के पास निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री भगवानदीन पटेल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत चुरहट, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( रजनी उड्के )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

## आदेश

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 67-8-08-तीन-2993.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकारी ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकार्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा निर्वाचन व्ययों में जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के पास दाखिल किया जाएगा।

माह अप्रैल 2008 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत चुरहट, जिला सीधी के निर्वाचन में श्री मोतीलाल कोल, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 अप्रैल 2008 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन (अर्थात् 17 मई 2008 तक किन्तु 17 मई 2008 एवं 18 मई 2008 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 19 मई 2008 तक) के अन्दर इनके द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला सीधी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (नगरपालिका) सीधी के पत्र क्र. 342/स्था. निर्वा./08, दिनांक 27 जून 2008 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री श्री मोतीलाल कोल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका),

जिला सीधी से प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री मोतीलाल कोल को कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. एफ-67-8-2008-तीन-876, दिनांक 22 जुलाई 2008 जारी किया जाकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला सीधी के माध्यम से तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थी श्री मोतीलाल कोल को नोटिस दिनांक 9 सितम्बर 2008 को तामील कराया गया था अतः अभ्यर्थी को दिनांक 24 सितम्बर 2008 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 20 मार्च 2009 तक जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला सीधी को तथा आयोग में कोई अभ्यावेदन/व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग द्वारा विचारोपान्त दिनांक 8 अक्टूबर 2010 को अभ्यर्थी श्री मोतीलाल कोल को आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित समस्त दस्तावेजों सहित दिनांक 10 नवम्बर 2010 को बुलाया गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली 24 अक्टूबर 2010 को हो गई थी। किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए।

इस प्रकार अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम तथा निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 के निर्देशों के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया है। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी के पास निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मोतीलाल कोल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत चुरहट, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निर्वाचित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(रजनी उड्के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

## राज्य शासन के आदेश

### गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

### विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. एफ. 3-1-2010-दो-ए(3).—प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभाग द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 17 जनवरी, 2011 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी :—

प्र. पत्र  
(1)

प्रश्नपत्र का विषय  
(2)

समय  
(3)

सोमवार, दिनांक 17 जनवरी 2011

- |     |                                                                                                                                                                 |                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.  | पहला प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये।                               | प्रातः 10.00 बजे से<br>दोपहर 1.00 बजे तक। |
| 2.  | पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित)।                                                        | — ”—                                      |
| 3.  | विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)                                                                                     | — ”—                                      |
| 4.  | विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)।                                                                     | — ”—                                      |
| 5.  | पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये।                                                                  | — ”—                                      |
| 59. | विद्युत् संबंधी विधियाँ-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये।                                                                                                      | — ”—                                      |
| 6.  | दूसरा प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना पुलिस, सामान्य प्रशासन, भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये। | दोपहर 2.00 बजे से<br>शाम 5.00 बजे तक।     |
| 7.  | दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये।                                                           | — ”—                                      |
| 8.  | समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये।                                                                            | — ”—                                      |
| 60. | भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये।                                                              | — ”—                                      |

मंगलवार, दिनांक 18 जनवरी 2011

- |     |                                                                                                                                                                    |                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 9.  | पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये।                                       | प्रातः 10.00 बजे से<br>दोपहर 1.00 बजे तक। |
| 10. | पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-बी। | — ”—                                      |

(1)	(2)	(3)
11.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-सी।	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	— "—
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	— "—
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	— "—
61.	विद्युत् संस्थापनाएं-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये	— "—
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	— "—
17.	तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	— "—
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	— "—
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	— "—
62.	लेखा व स्थापना-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	— "—

बुधवार, दिनांक 19 जनवरी 2011

20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया-राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	— "—
22.	प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	— "—
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	— "—
24.	पुलिस अधिकारियों की “व्यवहारिक परीक्षा”.	— "—
63.	स्वच्छ गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये	— "—

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक. — ”—
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
27.	पुलिस अधिकारियों की “पुलिस शाखा” प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के).	— ”—
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	— ”—
29.	तीसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	— ”—
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
31.	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा, तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	— ”—
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
64.	विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि./सु.) के लिये.	— ”—

गुरुवार, दिनांक 20 जनवरी 2011

33.	प्रश्न-पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
35.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.	— ”—
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	— ”—

(1)	(2)	(3)
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये।	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—

शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2011

45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक।
46.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा के भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)।	— "—
47.	प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।
48.	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये। (पुस्तकों सहित)।	— "—
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये।	— "—
65.	पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये।	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक।
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)।	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।
54.	तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये।	— "—
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये।	— "—

(1)	(2)	(3)
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये।	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।
57.	प्रश्नपत्र-तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास-जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये। (पुस्तकों सहित)	— " —

शनिवार, दिनांक 22 जनवरी 2011

58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये।	दोपहर 10.00 बजे से 12.00 बजे तक।
-----	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

- नोट:—**(1) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-54-98-दो-ए(३), दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ. 3-102-90-दो-ए(३), दिनांक 8 मई 1991 के पाद्यक्रम के अनुसार होगी। नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है।
- (2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी।
- (3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए, परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें।
- (4) सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1-अ.स.- जनजाति सेवा दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है। ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी। परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे। इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे। संबंधित विभागाध्यक्ष/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10 जनवरी 2011 तक भेजेंगे। जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे।
- (5) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें। इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी। कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है, एस.सी/एस.टी. दर्शकर कोष्ठक में (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एल. पी. जैन, अवर सचिव।

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

कटनी, दिनांक 19 अक्टूबर 2010

ग्र. प्र. क्र. 0-अ82-09-10-भू.अ.अ.-1017—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	कैलवारा खुर्द प. ह. नं. 29	1.239	आयुक्त, नगर निगम कटनी.	यू. आई. डी. एस. एस. एम. टी. योजनान्तर्गत बैराज निर्माण हेतु.
कुल रकबा . .				1.239	

**नोट.—** भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कटनी, जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. सेलवेनद्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

उज्जैन, दिनांक 3 दिसम्बर 2010

क्र. भूमि संपादन-2010-प्र.क्र. अ-82-10-11-9646.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	महिदपुर	डोंगला	1.42	भू-अर्जन अधिकारी, महिदपुर	ग्राम जवासियां पंथ से नारायणा मार्ग में ली जाने वाली भूमि का अधिग्रहण।

**नोट.—** भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. भूमि संपादन-2010-प्र.क्र. अ-82-10-11-9650.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	महिदपुर	इटावा	0.85	भू-अर्जन अधिकारी, महिदपुर	ग्राम जवासियां पंथ से नारायणा मार्ग में ली जाने वाली भूमि का अधिग्रहण.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. भूमि संपादन-2010-प्र.क्र.-1-अ-82-10-11-9647.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	महिदपुर	बरखेड़ाबुजुर्ग	1.43	भू-अर्जन अधिकारी, महिदपुर	ग्राम जवासियां पंथ से नारायणा मार्ग में ली जाने वाली भूमि का अधिग्रहण.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. भूमि संपादन-2010-प्र.क्र.-2-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	महिदपुर	गंगाजलखेड़ा	1:49	भू-अर्जन अधिकारी, महिदपुर	ग्राम जवासियां पंथ से नारायणा मार्ग में ली जाने वाली भूमि का अधिग्रहण.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. भूमि संपादन-2010-प्र.क्र.-3-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अर्थात् आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	महिदपुर	जवासिया पंथ	0.55	भू-अर्जन अधिकारी, महिदपुर	ग्राम जवासियां पंथ से नारायणा मार्ग में ली जाने वाली भूमि का अधिग्रहण.

**नोट.—** भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला रत्लाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रत्लाम, दिनांक 4 दिसम्बर 2010

क्र.-भू-अर्जन-2010-6053-प्र. क्र. 1-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रत्लाम	जावरा	मेंहदी	0.250	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रत्लाम।	पिपलिया सिहोर तालाब (माधव जलाशय) में छूटे गये सर्वे नम्बर की निजी भूमि का अर्जन।

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
देवास, दिनांक 4 दिसम्बर 2010**

क्र. 1557-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 1-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँः—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेर में)	धारा 4 (2) के	कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(5)
देवास	सतवास	कॉटाफोड़	0.500	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग देवास.	कॉटाफोड़ से पुंजापुरा रोड़ का भू-अर्जन बावत्.

नोटः—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, कनौद में देखा जा सकता है।

क्र. 1562-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 2-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँः—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेर में)	धारा 4 (2) के	कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(5)
देवास	सतवास	गोदना	6.32	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग देवास.	कॉटाफोड़ से पुंजापुरा रोड़ का भू-अर्जन बावत्.

नोटः—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, कनौद में देखा जा सकता है।

क्र. 1546-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 3-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँः—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेर में)	धारा 4 (2) के	कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(5)
देवास	सतवास	सिंगोड़ी	3.54	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग देवास.	कॉटाफोड़ से पुंजापुरा रोड़ का भू-अर्जन बावत्.

नोटः—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, कनौद में देखा जा सकता है।

क्र.-1552-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 4-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग देवास		
देवास	सतवास	कानड़ा	5.63	कॉटाफोड़ से पुंजापुरा रोड़ का भू-अर्जन बावत्		

नोटः—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, कनौद में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पुष्पलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

रा. मा. क्र.-4-अ-82 वर्ष 2010-11-पत्र क्र.-675-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रक्बा (हेक्टेर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	पलोहाबड़ा नं.बं. 254 प.ह.नं. 11	0.080	कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.लो. सागर नहर संभाग क्रमांक 1 करेली		अमोदा टेल माइनर निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. 1972-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार

सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1), सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	अमलाथा	12.633	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के ढूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अधिकारी (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म.प्र.रा.वि.मण्डल मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1971-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1), सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	लेपा	14.349	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के ढूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अधिकारी (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म.प्र.रा.वि.मण्डल मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1970-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1), सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं।

भूमि का वर्णन				अनुसूची	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर	(6)
खरगोन	महेश्वर	भसुण्डा	13.565	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण।	

**नोट।—**भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अधिकारी (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म.प्र.रा.वि.मण्डल मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

खरगोन, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

क्र. 1983-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

भूमि का वर्णन				अनुसूची	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह	(6)
खरगोन	बड़वाह	अमलाथा	0.305	ऑकारेश्वर परियोजना द्वितीय चरण की दांयी तट नहर निर्माण एवं उससे संबंधित प्रस्तावित व्ही. आर.बी. के एप्रोच रोड निर्माण एवं ड्रेनेज सायफन के नाला डायवर्शन हेतु।	

**नोट।—**भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी ऑकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह, के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
सागर, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

क्र. प्र.भू.अ.-2010-12024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाना

(6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			क्षेत्रफल हैक्टर में	कुल ख.नं.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	खुरई	खिमलासा	5	0.26	संभागीय प्रबंधक, रोड डेव्हलपमेंट बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत बीना- कापोरेशन सागर संभाग, सागर.	खिमलासा-मालथौन मार्ग निर्माण.

**नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खुरई में देखा जा सकता है।

क्र. प्र. भू.अ.-2010-12025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			क्षेत्रफल हैक्टर में	कुल ख.नं.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	खुरई	बसाहरी	12	0.44	संभागीय प्रबंधक, रोड डेव्हलपमेंट बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत बीना- कापोरेशन सागर संभाग, सागर.	खिमलासा-मालथौन मार्ग निर्माण.

**नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खुरई में देखा जा सकता है।

क्र. प्र. भू.अ.-2010-12026.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			क्षेत्रफल हैक्टर में	कुल ख.नं.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	खुरई	चक्क बघौनिया	3	0.19	संभागीय प्रबंधक, रोड डेव्हलपमेंट बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत बीना- कापोरेशन सागर संभाग, सागर.	खिमलासा-मालथौन मार्ग निर्माण.

**नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खुरई में देखा जा सकता है।

क्र. प्र. भू. अ.-2010-12027.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल हैक्टर में		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			कुल ख.नं.	कुल रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	खुरई	बम्हौरी लाल	5	0.10	संभागीय प्रबंधक, रोड डेव्हलपमेंट बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत बीना-कापैरेशन सागर संभाग, सागर.	खिमलासा-मालथौन मार्ग निर्माण.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खुरई में देखा जा सकता है।

क्र. प्र. भू. अ.-2010-12028.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल हैक्टर में		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			कुल ख.नं.	कुल रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	खुरई	लौंगर	8	0.51	संभागीय प्रबंधक, रोड डेव्हलपमेंट बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत बीना-कापैरेशन सागर संभाग, सागर.	खिमलासा-मालथौन मार्ग निर्माण.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खुरई में देखा जा सकता है।

क्र. प्र. भू. अ.-2010-12029.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल हैक्टर में		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			कुल ख.नं.	कुल रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	खुरई	खिरियाकलां	6	0.24	संभागीय प्रबंधक, रोड डेव्हलपमेंट बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत बीना-कापैरेशन सागर संभाग, सागर.	खिमलासा-मालथौन मार्ग निर्माण.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खुरई में देखा जा सकता है।

क्र. प्र.भू. अ.-2010-12030.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			क्षेत्रफल हैक्टर में	कुल ख.नं.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	खुरई	अटाकर्नेलगढ	41	6.81	संभागीय प्रबंधक, रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन सागर संभाग, सागर।	सागर-ललितपुर मार्ग पर ग्राम खिरियाडांग एवं अटाकर्नेलगढ में जांच चौकी निर्माण।

**नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अ. बि. अ. राजस्व खुरई में देखा जा सकता है।

क्र. प्र.भू. अ.-2010-12031.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			क्षेत्रफल हैक्टर में	कुल ख.नं.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	खुरई	गढ़ौली	20	1.17	संभागीय प्रबंधक, रोड डेव्हलपमेंट बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत बीना-कार्पोरेशन सागर संभाग, सागर।	खिमलासा-मालथौन मार्ग निर्माण।

**नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खुरई में देखा जा सकता है।

सागर, दिनांक 14 दिसम्बर, 2010

क्र. प्र.भू. अ.-2010-12039.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			क्षेत्रफल हैक्टर में	कुल ख.नं.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	खुरई	खिरियाडांग	6	1.24	संभागीय प्रबंधक, रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन सागर संभाग, सागर.	सागर-ललितपुर मार्ग पर ग्राम खिरियाडांग एवं अटाकर्नेलगढ़ में जांच चौकी निर्माण.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अ.वि.अ. राजस्व, खुरई में देखा जा सकता है।

क्र. प्र.भू. अ.-2010-12040.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			क्षेत्रफल हैक्टर में	कुल ख.नं.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	खुरई	बस्झा	13	2.38	संभागीय प्रबंधक, रोड डेव्हलपमेंट बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत बीना-कार्पोरेशन सागर संभाग, सागर.	खिमलासा-मालथौन मार्ग निर्माण.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खुरई में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रायसेन, दिनांक 30 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 4-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

**अनुसूची**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल एकड़ में (एकड़ में)	रकबा जाने वाला रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
रायसेन	गौहरगंज	शाहबाद	207/2	5.89	0.26	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन.	बकनिया जलाशय की मुख्य नहर उपनहर एवं एकेप निर्माण के लिए
		तिलेंडी की (मुख्य नहर)	205	7.96	0.30		
			206/2/3/1	8.10	0.04		
			206/2/3/6	1.62	0.23		
			206/2/3/5	1.62	0.27		
			206/2/3/3	1.62	0.34		
			204/2/3/4	1.62	0.15		
			195	9.41	0.61		
			190	5.50	0.25		
			192	0.22	0.02		
			132	0.69	0.05		
			133	3.30	0.10		
		शाहबाद तिलेंडी मुख्य नहर	189	12.61	0.83		
		दादरोद (मुख्य नहर)	126/1	748.14	5.60		
			160	0.47	0.10		
			161	1.08	0.14		
			166	1.98	0.30		
			15	2.86	0.20		
			17	0.45	0.06		
			69	0.45	0.11		
			65	1.11	0.21		
			66	0.98	0.04		
			169	6.69	0.20		
			158	0.24	0.07		
			159	0.38	0.13		
			18	16.32	0.36		
		शाहबाद तिलेंडी (एस्केप निर्माण कार्य हेतु)	207/2	5.79	0.24		
			योग . .	847.10	11.21		

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 17 जून 2010

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

धार, दिनांक 24 जून 2010

प्र. क्र. 3-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—दॉयी तट नहर निर्माण हेतु।
- (क) जिला—जबलपुर
  - (ख) तहसील—जबलपुर
  - (ग) ग्राम—खुरसी, प.ह.नं. 41/47, नं. बं. 580  
रा.नि.मं. बरगी।
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.82 हेक्टेयर।

खसरा नम्बर	रक्का (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
259	0.07
268	0.80
269/2	0.65
272/2	0.30
योग . .	1.82

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दॉयी तट नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा. सागर परियोजना इकाई क्र. 1, बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

क्र. 8552-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—सरदारपुर
- (ग) ग्राम—कंजरोटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.345 हेक्टर।

सर्वे नम्बर	अर्जित रक्का
निजी	(हे. में)
(1)	(2)
44/4	0.125
44/5	0.220
44/6	1.000
योग . .	1.345

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हनुमानखेड़ा तालाब के वेस्टडिवियर निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार जिला धार के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्र. 1-अ-82-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अशोकनगर
- (ख) तहसील—मुंगावली
- (ग) ग्राम—महुआखाड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.650 हेक्टर।

खसरा नं.	अर्जित रकबा
	(हे. में)
(1)	(2)
138/3 मि.	0.650

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र. क्यू-भू-अर्जन-26-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी
- (ख) तहसील—नरवर

(ग) ग्राम—गोंधारी  
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.44 हेक्टेयर।

सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
-------------	------------------------

(1)	(2)
946	0.04
945	0.11
930	0.08
929	0.28
925	0.03
927	0.16
926	0.14
910	0.08
913	0.04
909	0.02
911	0.03
907	0.28
906	0.02
904	0.09
903	0.04

योग . . 1.44

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत (महुआर नदी के पश्चात) शाखा एम-4 मायनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-27-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि
- (क) जिला—शिवपुरी
- (ख) तहसील—नरवर

- (ग) ग्राम—दबरी पमारी  
 (घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—4.31 हेक्टेयर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)	सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)		
519	0.17		
517	0.29		
515	0.20		
500	0.10		
498	0.06		
499	0.12		
487	0.16		
490	0.06		
488	0.06		
462/1	0.03		
486	0.05		
195	0.17		
194	0.13		
254/2	0.11	(1)	(2)
255	0.07	474	0.12
256	0.06	473	0.11
257	0.06	306	0.13
262	0.06	304	0.17
262/522	0.11	471	0.05
263	0.13	472	0.10
266	0.14	316	0.06
294	0.03	300	0.01
391	0.20	325	0.15
390	0.28	403	0.03
389	0.15	404	0.04
346	0.13	405	0.02
337	0.05	406	0.09
338	0.19	408	0.08
334	0.20	407	0.08
317	0.05	424	0.05
319	0.07	428	0.10
320	0.22	423	0.06
63	0.12	305	0.05
62	0.28	425	0.07
योग . .	4.31	303	0.25
		310	0.01
		311	0.01
		68	0.14
		312	0.02

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत (महुआर नदी के पश्चात्) शाखा एम-4 मायनर के निर्माण हेतु.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-34-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—नरवर

(ग) ग्राम—राँवकलाँ

(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—12.04 हेक्टेयर.

(1)	(2)	(1)	(2)
314	0.01	442	0.11
302	0.07	517	0.02
315	0.17	518	0.20
343	0.30	520	0.04
344	0.11	521	0.04
301	0.02	522	0.16
326	0.03	531	0.04
324	0.02	527	0.02
328	0.24	530	0.03
69	0.14	528	0.04
70	0.09	550	0.05
95	0.01	551	0.17
63	0.12	549	0.12
71	0.10	556	0.05
62	0.25	560	0.13
72	0.02	558	0.11
61	0.35	559	0.13
73	0.02	552	0.02
46	0.43	557	0.22
74	0.09	555	0.07
18	0.35	329	0.02
19	0.09	342	0.01
80	0.05	333	0.05
17	0.20	334	0.04
15	0.24	330	0.01
20	0.27	332	0.08
21	0.17	349	0.18
22	0.10	8	0.25
23	0.10	335	0.01
24	0.02	3/6	0.05
26	0.14	3/7	0.12
27	0.01	92	0.20
429	0.19	91	0.05
433	0.08	89	0.02
431	0.03	90	0.06
432	0.03	106	0.09
439	0.02	86	0.03
438	0.13	87	0.05
440	0.04	88	0.04
441	0.19	107	0.17
519	0.05	110	0.23

(1)	(2)	(1)	(2)
187	0.15	2039	0.76
153	0.08	2040	0.14
185	0.12	2041	1.10
163	0.09	2042	0.49
156	0.07	2045	0.66
155	0.01	2046	0.48
157 मिन	0.07	2047	0.05
154	0.17	2049	0.05
151	0.08	2051	0.09
150	0.13	2052	0.10
132	0.13	2053	0.04
133	0.01	2054	0.06
134	0.08	2055	0.04
136	0.01	2056	0.04
16	0.13	2059	0.10
14	0.09	2060	0.21
योग . .		2080	0.30
		2081	0.10
		2083	0.22
		2088	0.08
		2402	0.36
		2410	0.05
		2413	0.05
		2414	0.06
		2415	0.08
		2416	0.11
		2417	0.21
		योग . .	
		6.13	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत (महुआर नदी के आगे) की शाखा डी-7 एवं उसकी उपशाखाओं के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-35-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी
- (ख) तहसील—नरवर
- (ग) ग्राम—झण्डा
- (घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—6.13 हेक्टेयर।

सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल
	(हे. में)

(1)	(2)
2038	0.10

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत समोहा पिकअप वियर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश	(1)	(2)
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	379/1(1)	0.319
राजस्व विभाग	379/1(2)	0.299
अनूपपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2010	379/2	0.299
क्र. 13154-दस-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	380	0.636
अनुसूची	381	1.154
(1) भूमि का वर्णन—	384/1	0.130
(क) जिला—अनूपपुर	384/2	0.258
(ख) तहसील—कोतमा	385/1(1)	0.206
(ग) ग्राम—रेंडदा	385/1(2)	0.207
(घ) लगभग क्षेत्रफल—29.610 हे.	385/2	0.202
खसरा नम्बर	386	0.522
अर्जित रकमा (हे. में)	387	0.522
(1) (2)	390/2(1)	0.717
256 0.020	390/2(2)	0.072
335 0.299	390/2(3)	0.072
336 0.138	390/3	0.510
337 0.263	391/1	2.311
340 0.053	391/2	0.697
341/2 0.061	392	0.125
342/1क 2.065	393	0.442
342/1ख 2.645	394	0.081
342/2 0.405	395	0.686
343 0.251	396	0.061
350/1 0.041	397	0.121
371 0.040	398	0.101
372 0.089	399	0.340
373 0.202	400	0.036
374 0.934	402/1क	0.202
375 0.243	402/1ख	0.113
376 1.113	402/1ग	0.256
377/1 0.383	402/2	0.712
377/2 0.383	403	0.328
378 0.563	404/1	1.053
	404/2	0.324
	405	0.170
	406/1	0.559
	406/2	0.109
	407/1	0.214

(1)	(2)	(1)	(2)
407/2	0.851	101	0.316
407/3(1)	0.607	100	0.490
407/3(2)	0.303	99	0.134
410/1	0.117	98	0.437
410/2	0.121	97	0.575
410/3	0.121	96	0.397
411	0.417	95	0.380
412/1क	0.303	94	1.104
412/1ख	0.356	93	0.433
412/3	0.733	92	0.150
412/4	0.324	91	0.507
योग . .	<u>29.610</u>	89	0.628

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतहरी, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र. 13155-दस-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर
- (ख) तहसील—जैतहरी
- (ग) ग्राम—कपरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—13.166 हे.

खसरा नम्बर	अर्जित रकमा (हे. में)	(1)	(2)
103	0.275		
102/1	0.125		
102/2	0.126		
104	0.458		
105	0.10		

902/2क	0.40
90/2ख	0.15
90/2ग	0.15
90/2घ	0.10
90/2ड	0.20
90/2च	0.40
90/2छ	0.60
90/2ज	0.25
90/2झ	0.30
90/2अ	0.081

366/2	1.00
366/3	0.50
366/4	0.30
366/5	0.80
366/6	0.50
366/7क	0.40
366/7ख	0.20

366/8	0.20
योग . .	<u>13.166</u>

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतहरी, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कबीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 3 दिसम्बर 2010

क्र. 1945-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—शिरन्या
- (ग) ग्राम—देवित खुद (पूरक प्रकरण)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.324 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
70/2/1, 70/2/2	0.324
योग . .	<u>0.324</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अपरवेदा परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, अपरवेदा परियोजना भीकनगांव, मुख्यालय-खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 19, भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. 1974-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक-667-05-कोर्ट-10,

इन्दौर, दिनांक 29 सितम्बर 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां।
  - (क) जिला—खरगोन
  - (ख) तहसील—महेश्वर
  - (ग) ग्राम—गोगावां
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.960 हे. निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां

खसरा नम्बर	झुब का रकबा (हे. में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
191/1   200	0.109	नीबू-1, नीम-2
192 पैकी	0.016	
198 पैकी	0.073	नीम-6, बोर-1
199/1	0.093	शहतूत-1, नीम-1, बोर-1, नीबू पौधा-2
199/2	0.032	-
191/9   199/3	0.153	कबीट-1, नीम-1,
199/4	0.040	मकान-4
201	0.202	इमली-3, नीम-4, आम-3, आम पौधे-2, बेर-2, बांस-2, जाम-2, सीताफल-11, मकान कच्चा-1
203/1	0.057	-
203/2	0.032	नीम-2, इमली-1, बोर पौधे-2
204	0.036	नीम-1
206/1	0.028	
206/2	0.028	नीबू पौधे-5, सीताफल 5, जामुन-2, शेहतूत-1, जाम-2
208	0.073	मकान-1
209	0.065	नीम-1
210	0.057	नीम-2
220/2 पैकी	0.736	नीम-4, सुरजना-1, बोर-4
220/4	0.008	बड़-1, नीम-1
222	0.077	नीम-1, मकान-1
224	0.045	-
कुल 20 . .	<u>1.960</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र. रा.वि.म. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1973-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक-715-05-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 11 अक्टूबर 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जन्स्ती क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.
- (क) जिला—खरगोन  
 (ख) तहसील—कसरावद  
 (ग) ग्राम—नहारखेंडी  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.410 हे. निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां

खसरा नम्बर	डूब का रक्का (हे. में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
81/4 ख पैकी	0.040	आम-1, महू-1
84 पैकी	0.120	बैर-1, नीम-2
85 पैकी	0.100	-
89 पैकी	0.057	-
93 पैकी	0.004	-
104/1/1	0.004	बैर-1
105 पैकी	0.004	-
107	0.081	जामुन-1, कऊ-1
योग . .	<u>0.410</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र. रा.वि.म. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1975-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक-647-05-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 16 सितम्बर 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जन्स्ती क्लाज की अनुमति प्राप्त है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.
- (क) जिला—खरगोन  
 (ख) तहसील—महेश्वर  
 (ग) ग्राम—पथराड बुजुर्ग  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.387 हे. निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां

खसरा नम्बर	डूब का रक्का (हे. में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
78/1		0.965
79/4		1.133
86/1		0.648
78/3		0.648
78/4		2.529
86/4 ख		1.290
87/1/1 ख		0.405
86/6		0.498
87/4		0.271
योग . .	<u>8.387</u>	

(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.	(1)	(2)
		109	0.10
		139	0.13
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.म. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.	138	0.09
		141	0.07
		142	0.09
		143	0.20
		144/2	0.04
		148	0.23
		205	0.18
	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	220	0.03
		290	0.02
		292	0.05
		293	0.09

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. 3-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1)	भूमि का वर्णन—		
(क)	जिला—दतिया	371	0.06
(ख)	तहसील—दतिया	372	0.04
(ग)	ग्राम—रावरी	373	0.01
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—5.17 हेक्टर.	374	0.05
	खसरा नम्बर	रकमा	
		(हे. में)	
(1)	(2)	378	0.11
87	0.20	379	0.07
90	0.18	383	0.10
91	0.18	384	0.18
93	0.01	389	0.07
95	0.01	408	0.04
96	0.01	409	0.02
99	0.04	410	0.05
108	0.02	411	0.06

(1)	(2)	(1)	(2)
427	0.02	234	0.16
619	0.01	237	0.01
622	0.10	238	0.02
626	0.20	239	0.05
627	0.08	240	0.31
660	0.12	241	0.03
661	0.07	242	0.11
662	0.06	243	0.03
663	0.01	244	0.20
योग . .		245	0.13
	<u>5.17</u>	246	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत दांया तट नहर (महार नदी पश्चात्) की शाखा डी-7 की 15 आर माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—हिनौतिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.67 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा	(हे. में)	
(1)	(2)		
59	0.10	434	0.11
60	0.06	435	0.16
61	0.07	441	0.12
62	0.07	442	0.21
229	0.05	443	0.12
233	0.10	444	0.03
235	0.07	448	0.05

(1)	(2)	(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.640 हेक्टर.
खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	
449	0.23	
450	0.03	
451	0.03	
452	0.02	21/2,22/1 0.551
457	0.17	22/2 0.502
458	0.10	34/2 0.109
482	0.03	34/3, 35 0.124
483	0.35	36/3 0.210
484	0.10	40/4 0.052
485	0.02	41 0.202
486	0.09	43/2 0.056
414/1	0.01	43/3 0.170
414/2	0.06	43/4 0.088
योग . .	<u>7.67</u>	52/5 0.048
		52/6 0.243
		53/2 0.518
		56/2/2 0.174
		56/2/3 0.048
		56/3 0.243
		78 0.088
		79 0.522
		81/1 0.405
		81/3, 82/2 0.242
		84/3 0.291
		84/4 0.016
		87/1 0.113
		87/3 0.060
		87/4 0.060
		87/5 0.109
		87/6 0.344
		87/7 0.052
		योग . . <u>5.640</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत दायां तट नहर (महुआर नदी पश्चात्) की शाखा डी-7 एवं 15 आर माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर दत्तिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश<sup>1</sup>  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 8 दिसम्बर 2010

क्र. 1970-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र.-01-अ-82-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—बड़वानी
- (ग) ग्राम—बोम्या

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना (नहर) निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

**उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर**

Jabalpur, the 6th December 2010

No. B-5183-II-15-50-87-V.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) read with sub-regulation 2 of the Regulation 3 of Madhya Pradesh Legal Services Authorities Regulations, 1997, Hon'ble the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, do hereby nominates Hon'ble Shri Justice S. S. Kemkar, Judge, High Court of Madhya Pradesh, Bench Indore, as Co-Chairman of High Court Legal Services Committee at Indore, with immediate effect.

By order and in the name of  
Hon'ble the Chief Justice,  
**TARUN KUMAR KAUSHAL**, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. C-7066-दो-2-49-2009.—श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 22 से 25 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 नवम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-7068-दो-2-65-2010.—श्री एन. डी. पटले, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 18 से 25 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 नवम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एन. डी. पटले, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. डी. पटले उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-7070-दो-2-35-2006.—श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 8 से 10 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 से 7 नवम्बर 2010 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
**ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.**

जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्र. 1149-गोपनीय-2010-दो-2-10-62 (भाग-पांच)-शुद्धि-पत्र.—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 1136-गोपनीय-2010-दो-2-10-62 (भाग-पांच), दिनांक 24 नवम्बर 2010 की सारणी के सरल क्रमांक 14 पर अंकित श्री रितुराज बसंत कुमार के नाम के सामने स्तम्भ क्रमांक (3) पर अंकित चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक “1-9-2010” के स्थान पर चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक “1-9-2009” पढ़ा जावे।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
**टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.**

जबलपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2010

क्र. बी-5314-तीन-6-2-2010.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेपः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता हैः—

### सारणी

क्र. (1)	न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी (2)	पदस्थापना का स्थान (3)	राजस्व जिला (4)
1.	श्री जफर इकबाल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	विदिशा	विदिशा
2.	श्री खवीन्द्र कुमार धुर्वे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	गाडरवारा	नरसिंहपुर
3.	श्री गौतम कुमार गुजरे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	गाडरवारा	नरसिंहपुर
4.	श्री ए. आर. भलावी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	गाडरवारा	नरसिंहपुर
5.	श्री आर. पी. सेवेतिया, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
6.	श्री राधाकिशन मालवीय, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	सिहोरा	जबलपुर
7.	श्री राकेश कुमार ठाकुर, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	जबलपुर	जबलपुर
8.	श्री नितिन कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	जबलपुर	जबलपुर
9.	कु. सोमप्रभा ठाकुर, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	जबलपुर	जबलपुर
10.	श्री संतोष कुमार कोल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	जबलपुर	जबलपुर
11.	श्री नरेश कुमार मीना, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	जबलपुर	जबलपुर
12.	श्री संजय कुमार शाही, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	जबलपुर	जबलपुर
13.	श्री सूरज सिंह राठौर, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	भीकनगांव	प.नि. मण्डलेश्वर
14.	श्री अब्दुल कदीर मंसूरी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.	ग्वालियर	ग्वालियर

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
अभ्य कुमार, रजिस्ट्रार.

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. 487-स्था.सैट-2010.—श्री आर. सी. पिठवे, निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 1 से 10 दिसम्बर 2010 तक कुल दस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाशकाल में श्री पिठवे को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे।

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. पिठवे अवकाश पर नहीं जाते तो निजी सचिव के पद पर कार्य करते रहते। अतः अवकाश अवधि दिनांक 1 से 10 दिसम्बर 2010 को मूलभूत नियम 25 (ब) (2) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी।

ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार कम पी. पी. एस..